

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सूर्यकान्त मणि,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
नालंदा भवन प्रमण्डल, बिहारशरीफ,
भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांक- 8/1/18

विषय:- स्पष्टीकरण के संबंध में।
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक-6675(भ) अनु० दिनांक 27.07.2017 द्वारा आपको कनीय अभियंता (यांत्रिक) के वेतन भुगतान करने का निदेश दिये जाने के बावजूद भी माह जुलाई 2017 से कनीय अभियंता (यांत्रिक) श्री अनिल कुमार को वेतन भुगतान नहीं करना विभागीय आदेश का उल्लंघन का द्योतक है।

अतः इस संबंध में पुनः निदेश दिया जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर समर्पित करें कि क्यों नहीं इस कृत के लिए आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय?

विश्वासभाजन

8/1/18

(सूर्यकान्त मणि)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 201 (अ)

पटना, दिनांक-

8/1/18

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव कोषांग/अपर सचिव कोषांग/सभी संयुक्त सचिव कोषांग/सभी उप सचिव/आई.टी.मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/1/18

सरकार के अवर सचिव।

8/1/18